न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 44/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/52

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री मोहन लाल गुर्जर पुत्र श्री शंकर लाल, मैसर्स – भदेशवर दूध डेयरी, मस्जिद के पास, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16–02–2023 को 2.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स भदेशवर दूध डेयरी, मस्जिद के पास, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री मोहन लाल गुर्जर पुत्र श्री शंकर लाल** उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में **मैसर्स भदेशवर दूध डेयरी, मस्जिद के पास, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **मिक्स दुध (लूज) लगभग 20 किलो डीप फ्रिज में एल्युमिनियम की केन** में रखा पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **मिक्स दुध (लूज) 2 किलो मिलाकर एक मेल कर/ मूल एक साफ सुखे व खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर/ नपवाकर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 80/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **मिक्स दुध (लूज) 2 किलो को 4 साफ सुखे एवं खाली बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में प्रिजर्वेटीव फॉर्मेलीन की 40–40 बुन्दे डालकर एयरटाईड ढक्कन बंद कर** [illegible] भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस [illegible] एवं [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक W-[illegible] भाग पर विपका[illegible] प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे एवं सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/161 दिनांक 01–03–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 167 दिनांक 27–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स दुध (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1307** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **मिक्स दुध (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19–06–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17–07–2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/161 दिनांक 01–03–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 167 दिनांक 27–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स दुध (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1307** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **मिक्स दुध (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री मोहन लाल गुर्जर पुत्र श्री शंकर लाल, मैसर्स – भदेशवर दूध डेयरी, मस्जिद के पास, बांसवाडा को रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner